न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चास(बोकारो)।

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत
अभिलेख संख्या–42/2024–25

–: आदेश :–

सूची 14–फारम संख्या–560

आदेश की क्रम संख्या टौर तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी तारीख सहित
29/11/2024	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **(विक्रेता) दुलाल चन्द्र महतो पिता–स्व0 शिबु महतो, जाति–कुर्मी(महतो), ग्राम–चौवाटाँड़, थाना–पिण्ड्राजोरा, जिला–बोकारो** के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत **मौजा–चौवाटांड़ उर्फ कपितानपुर, थाना नं0–137, पुराना खाता नं0–37, नया–92, पुराना प्लॉट नं0–965, नया–1279, रकवा–0.09 एकड़** भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 366/भू0सु0, दिनांक 05.08.2024 के द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 2023 दिनांक 05.10.2024 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है :– 1. बिक्री की जानेवाली भूमि रैयती खाते की है जिसका सर्वे खतियान **सागर महतो** के नाम से दर्ज है। 2. भूमि खतियान के द्वारा प्राप्त है। विक्रेता का रैयत से संबंध पितामह है। 3. पंजी II में दर्ज रैयत से विक्रेता का संबंध पुत्र है। 4. (क) विक्रेता **ग्राम–चौवाटांड़, थाना–पिण्ड्राजोरा**, जिला–बोकारो का मूल निवासी है। (ख) क्रेता **ग्राम–केन्दाडीह, थाना–पिण्ड्राजोरा**, जिला–बोकारो के मूल निवासी है। 5. विक्रेता एवं क्रेता दोनों पिछड़ा वर्ग के श्रेणी में आते है, दोनों एक ही थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आते है। 6. विक्रेता एवं क्रेता दोनों पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते है। 7. विक्रेता कुर्मी जाति के है, एवं क्रेता कुर्मी जाति के है। 8. बिक्री की जानेवाली भूमि विवाद रहित है। 9. बिक्री की जानेवाली भूमि सैरात/भूदान/गैरमजरूआ आम व खास/कब्रिस्थान/सरना/मसना/ धार्मिक–स्थल/अधिग्रहण इत्यादि से बाहरहै। 10. प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् विक्रेता के पास **रकवा–1.50 एकड़** जमीन अवशेष बचता है। 11. बिक्री हेतु आवेदित प्लॉटों में पंजी II के अनुसार कुल **40** डी0 भूमि है। 12. भूमि बिक्री के उपरान्त विक्रेता भूमि हीन नहीं होंगे। 13. विक्रेता द्वारा बिक्री की जानेवाली भूमि विक्रेता को खतियान द्वारा प्राप्त है। 14. बिक्री की जानेवाली भूमि का जमाबंदी नं0 **92** पर शिवु महतो के नाम से दर्ज है, जो ऑनलाईन जमावंदी के भाग **सं0–01, पृष्ठ सं0–92** में अंकित है, जिसका लगान रसीद वर्ष **2019–20** तक निर्गत है। 15. विक्रेता का वंशावली अभिलेख के साथ संलग्न है, जो अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित है। 16. स्थल पर विक्रेता का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। 17. बिक्री की जानेवाली भूमि का किस्म **गोड़ा तीन** है। 18. आवेदक को **मौजा–चौवाटाँड़ उर्फ कपितानपुर, थाना नं0–137** के अन्तर्गत **पुराना खाता नं0–37, नया खाता नं0–92, पुराना प्लॉट नं0–965, नया प्लॉट नं0–1279, रकवा–0.09 एकड़** भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है। 19. प्रतिवेदन के साथ आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संलग्न है।	

अनुसूची 14—फारम संख्या—560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेशपर कार्रवाई के टिप्पणी तारीख
C.C. Issued से 3/12/24	विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0 JHLRCO/2024/340894 दिनांक 20.04.2024 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0 JHRC/2024/159539 दिनांक 15.05.2024 की छायाप्रति अभिलेख में संधारित है। अतः अंचल अधिकारी, चास से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत आवेदक **(विक्रेता) दुलाल चन्द्र महतो पिता—स्व0 शिबु महतो, जाति—कुर्मी(महतो), ग्राम—चौवाटाँड़ उर्फ कपितानपुर, थाना—पिण्ड्राजोरा, जिला—बोकारो** के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत **मौजा—चौवाटांड़ उर्फ कपितानपुर, थाना नं0—137, पुराना खाता नं0—37, नया—92, पुराना प्लॉट नं0—965, नया—1279, रकवा—0.09 एकड़** भूमि **(क्रेता) नुनीवाला देवी पति—स्व0 हीरालाल महतो, जाति—कुर्मी(महतो), ग्राम—केन्दाडीह, थाना—पिण्ड्राजोरा, जिला—बोकारो** को बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित एवं संशोधित, 29/11/24 भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास। 29/11/24 भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास। Digitally signed by PRABHASH KUMAR DUTTA Date: 2025.01.15 15:36:43 +05:30 Location: 192.168.1.42	